



छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तथा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24



छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तथा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2023—24 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

सचिव

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

विभागीय संरचना

छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभाग का नाम : योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम : श्री ओ.पी. चौधरी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

सचिव : श्री अंकित आनन्द (भा.प्र.से.)
संयुक्त सचिव : श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)
अवर सचिव : श्रीमती हेमलता एक्का

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी : श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग : अध्यक्ष - मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
उपाध्यक्ष - श्री अजय सिंह (से.नि.भा.प्र.से.)
सदस्य सचिव - श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव (से.नि.भा.व.से.)

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

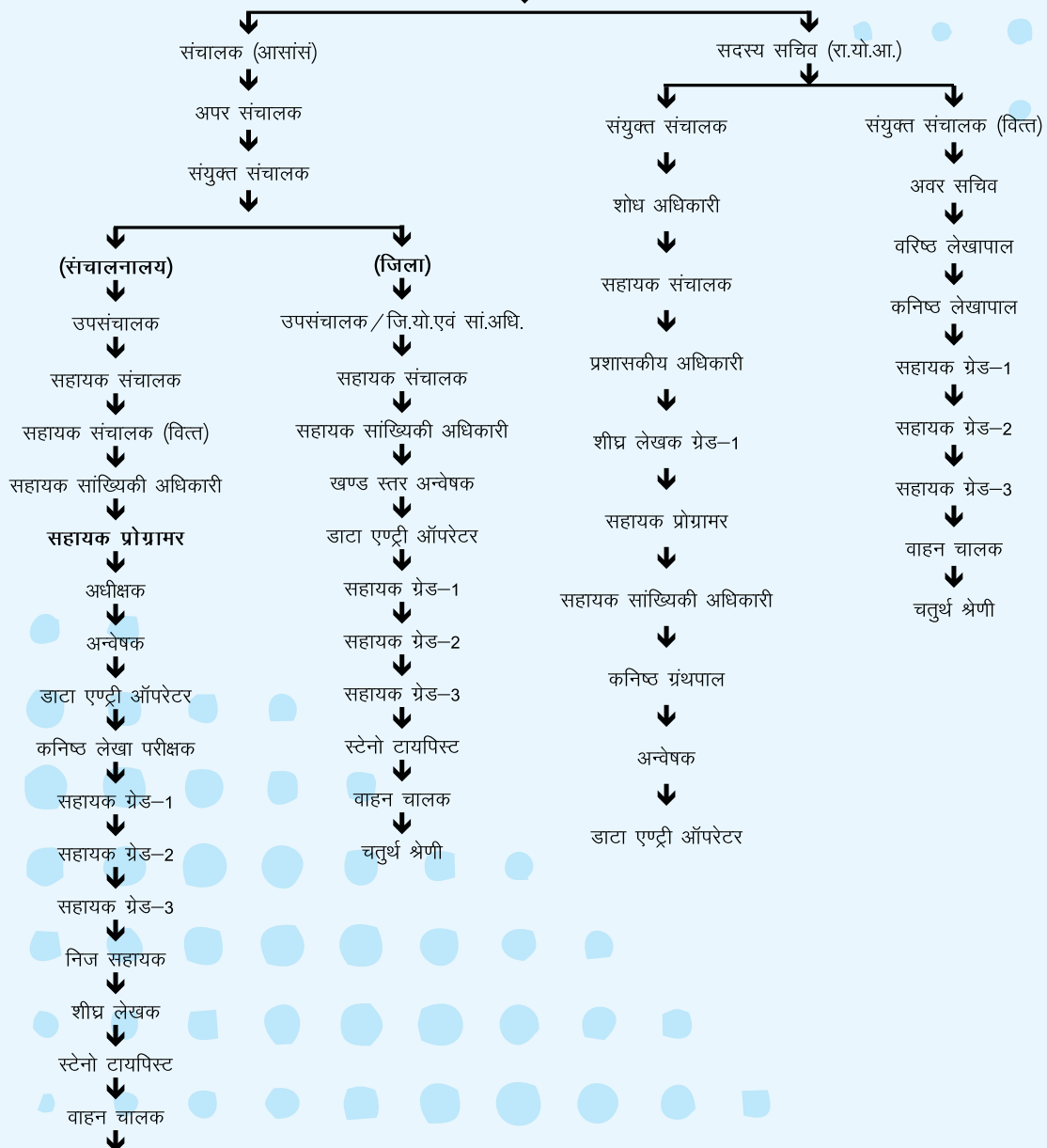
विभागीय संरचना

मंत्रालय,
माननीय मंत्री, छ.ग. भासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

सचिव

संयुक्त सचिव

અવર સચિવ



योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभाग को आवंटित कार्य

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय:

1. वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन.
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं, सहित परियोजनाओं कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन.
3. भावी योजना बनाना जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना.
4. संपूर्ण राज्य के लिए साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिए सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण.
5. वार्षिक योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण.
6. स्थानीय और क्षेत्रीय (सेक्टरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना.
7. योजना प्रगति का परीक्षण और मूल्यांकन तथा योजना आयोग से संगत जानकारी एकत्र करना.
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण.
9. योजना आयोग से संबंधित समस्त विषय.
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर आर्थिक तथा सांख्यिकी अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय.
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा.

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2011 सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम 2017 का प्रशासन शामिल है.
13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणाम का प्रकाशन.
14. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्य.
15. शासन के विभागों की 50 करोड़ या उससे अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी हेतु परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का अनुमोदन।

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम:

1. विलोपित.
2. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023 (संशोधित) (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)
3. औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)
4. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 नियम 2011 (संशोधन) अधिनियम 2017 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)
5. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995.
6. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़) नियम, 2001.
7. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995.
8. छत्तीसगढ़ जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय:

1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम:

1. कुछ नहीं

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय:

1. राज्य योजना आयोग
2. जिला योजना समिति

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय / आयोग	पृष्ठ संख्या
1	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय 2. राज्य योजना आयोग	1-13 14-27

**आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती-भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला - रायपुर**

भाग - एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट—एक** में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 33 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु **08** संभाग हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट—दो** में दर्शाया गया है।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है।

1.2 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु पंजीयन) एवं नीति-आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है।

1.3 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते हैं।

1.4 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि – उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल-संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है।

2.2 राज्यीय आय (राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान)

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान एवं प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2021-22 (प्रावधिक), 2022-23 (त्वरित) एवं 2023-24 (अग्रिम) तैयार किये गये। इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्याय के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 में शामिल कर विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा गया।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य शासन की वार्षिक बजट वर्ष 2023-24 का वर्गीकरण कर वर्ष 2021-22 (लेखा), 2022-23 (पु.अ.) एवं 2023-24 (ब.अ.) की जानकारी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय को राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। एवं राज्यीय आय तैयार करने हेतु राज्य स्तर पर इन आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

जनहित में नीति निर्माण हेतु भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विषय पर सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु निर्धारित अनुसूचियों में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने हेतु ग्रामीण एवं नगरीय न्यादर्श आबंटित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से आवंटित ग्रामीण एवं नगरीय न्यादर्शों खण्डों में विभागीय प्रशिक्षित क्षेत्रीय अन्वेषकों द्वारा घर घर जाकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषय पर निर्धारित अनुसूचियों में प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

संग्रहित आंकड़ों की परिनिरीक्षा पश्चात डाटा प्रविष्टी एवं डाटा टेबुलेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त सॉफ्टवेयर में किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग पश्चात राज्य स्तर का रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त सॉफ्टवेयर में केन्द्र तथा राज्य के अन्वेषकों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से प्राप्त डाटा की पुलिंग (तुलना) किया जाता है। जिससे जिला स्तर के प्रकाशन तैयार किये जाते हैं।

2.5 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य / नागरिक पंजीयन प्रणाली

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। “जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969” एवं “जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 (संशोधित)” अन्तर्गत भारत देश में घटित हर जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीकरण उक्त अधिनियमों के साथ-साथ “छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 2001” के अन्तर्गत किया जाता है।

राज्य में समस्त ग्रामीण निकाय, समस्त नगरीय निकाय तथा समस्त शासकीय अस्पताल, केन्द्र तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पताल अपने अधिकारिता क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य करते हैं। राज्य के 33 जिलों में समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) पंजीयन करने के पश्चात, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते हैं।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के वेबपोर्टल पर राज्य के समस्त पंजीयन इकाईयों द्वारा ऑनलाईन जन्म-मृत्यु पंजीयन किया जाता है। संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष अधिनियम के कार्यकरण पर राज्य की रिपोर्ट तैयार कर राज्य शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित की जाती है।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिकों के परिवारिक आय-व्ययों का पायलेट सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो-शिमला के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2014-15 से छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार हैं:-

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

क्रमांक	जिला	बाजार
1	रायपुर	I- गोल बाजार
		II- बीरगांव
2	कोरबा	I- निहारिका
		II- कोसाबाड़ी
		III- ट्रांसपोर्ट नगर
3	दुर्ग (भिलाई)	I- आकाशगंगा
		II- केम्प-2

वार्षिक कार्यकलाप

(क) प्रकाशन — आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है:—

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023—24

विभागीय जानकारी के आधार पर “छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2023—24” तैयार किया जा रहा है, जो कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जावेगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011—12 से 2021—22(अ)

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान—सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल—प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2019—20(लेखा) वर्ष 2020—21 (पुनरीक्षित) एवं वर्ष 2021—22 (बजट अनुमान)

इस प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष परिव्यय का उल्लेख किया जाता है।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2022-23.

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं में प्रकाशित किया जा रहा है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2023

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि ग्रामीण एवं विकास, जल, परिवहन एवं सामाजिक विषयों से संबंधित प्रमुख संकेतांक के आधार पर आकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसमें राज्य के विकास की अवधारणा का प्रबोधन किया जाता है। यह प्रकाशन तैयार किया जा रहा है।

6. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट— 2022

राज्य से संबंधित वर्ष में पंजीयन की प्रगति के लिये किये गए प्रयास एवं उसके आधार पर प्रगति का विश्लेषण किया जाता है।

7. राज्य में होने वाले प्रत्येक जन्म—मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन— 2022.

जन्म एवं मृत्यु से सम्बंधित आकड़ों का राज्य के समस्त पंजीयन इकाइयों से संकलन एवं विश्लेषणात्मक सारणी तैयार कर राज्य शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार को प्रेषित की जाती है।

8. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर—संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) की वार्षिक रिपोर्ट—2022.

राज्य में होने वाले मृत्यु का वर्गीकरण एवं उनका क्षेत्रवार वितरण की जानकारी जिसका उपयोग स्वास्थ्य से संबंधित योजना तैयार करने में किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 76वे दौर का प्रकाशन वित्तीय वर्ष 2023-24 में तैयार किया गया है। यह प्रकाशन अविभाजित मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रकाशन है।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 79 वें दौर में जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक “आयुष (AYUSH)” तथा “Comprehensiv Annual Modular Servy(CAMS)” विषय की जानकारी 352 ग्रामीण एवं 288 नगरीय प्रतिदर्श कुल आवंटित 640 प्रतिदर्श का समस्त फील्ड सर्वेक्षण कार्य एवं डाटा एंट्री कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

“आयुष (AYUSH)” के अंतर्गत राज्य में विभिन्न गैर परंपरागत चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगो में जागरूकता तथा आलोच्य वर्ष में उनके द्वारा इलाज के लिए इसके प्रयोग की जानकारी प्राप्त की गई है। “Comprehensiv Annual Modular Servy (CAMS)” के अंतर्गत SDG के उन संकेतांको की जानकारी प्राप्त की गई है, जिनके संबंध में आकड़े अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 17 वीं लोकसभा हेतु 31 नवम्बर 2023 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 9908.69 लाख रुपये, जारी किया गया है, जिसमें से राशि रु. 6672.77 लाख की लागत से 1827 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उसमें से 1197 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह राज्य के राज्यसभा सदस्यों हेतु 30 नवम्बर 2023 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि रु. 11840.85 लाख रुपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रु. 9716.28 लाख की लागत से 2680 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 2287 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(घ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से राशि रुपये 400.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु राशि रुपये 296.00 लाख एवं माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा राशि रुपये 100.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। शेष 1 प्रतिशत की राशि रुपये 4.00 लाख आकस्मिक निधि के रूप में व्यय करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 31 दिसम्बर 2023 तक कुल राशि रुपये 2197387 हजार के विरुद्ध 5982 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 958 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन :-

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2023-24 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु योजनांतर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है।

(राशि रु. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2023-24 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2023)	वर्ष 2023-24 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1		3
1430 - जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन	16997	47588
0512 - नमूना सर्वेक्षण	11798	24556
8048 - आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	223953	381708
6562 - जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी क्रियान्वयन	0	0
6564 - संभागीय एवं जिला सांख्यिकी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	0	0
6293 - सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0
7604 - भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	0	115
योग	252748	453967
7493- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1272688	3640000
योग	1272688	3640000
महायोग	1525436	4093967

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-तीन

केन्द्र सरकार से RTGS के माध्यम से सीधे संचालनालय के बैंक खाता में प्राप्त राशि में से व्यय राशि का विवरण –

(राशि रु. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2023-24 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2023)	वर्ष 2023-24 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य – आयोजना		
7413 – सांख्यिकी सुदृढीकरण सहायता योजना	3753.380	0
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	2124.300	4100.00
योग	5877.680	4100.00

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग-पांच

अभिनव योजनाएँ

निरंक

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-छः

प्रकाशन संभाग

(क) वर्ष 2023—2024 में प्रस्तावित प्रकाशन

1. छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2022—2023 (अप्रैल 2024 प्रस्तावित)
2. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2023 (अप्रैल 2024 प्रस्तावित)
3. छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023—24 (फरवरी 2024 प्रस्तावित)

(ख) वर्ष 2022—2023 में प्रकाशित प्रकाशन

1. छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011—12 से 2022—23(अ)
2. छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2022—23 (अप्रैल 2024 प्रस्तावित)
3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2023 (अप्रैल 2024 प्रस्तावित)
4. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट —2022

भाग-सात

सारांश

राज्य में सामाजिक—आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सांख्यिकीय डेटा के व्यवस्थित संग्रह, वैज्ञानिक विश्लेषण करना है ताकि विकासशील अर्थव्यवस्था की एक व्यापक, समन्वित तस्वीर तैयार की जा सके। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय कर और सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटा प्रदान करना भी निदेशालय की एक प्रमुख जिम्मेदारी है।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

परिशिष्ट—एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी (01.01.2024 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	प्रथम श्रेणी									
1	संचालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	अपर संचालक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	1	0	1	2	0	2
4	उप संचालक	3	28	31	4	12	16	1	16	15
		8	28	36	6	12	18	2	16	18
	द्वितीय श्रेणी									
1	सहायक संचालक	13	55	68	7	43	50	6	12	18
	तृतीय श्रेणी									
1	सहा.प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	123	159	29	89	118	7	34	41
3	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	5	31	36	9	134	143
4	संगणक (डाटा एण्ट्री ऑपरेटर)	6	55	61	6	30	36	0	25	25
5	अधीक्षक	1	0	1	0	1	1	1	1	0
6	निज सहायक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
8	स्टेनोग्राफिस्ट	4	18	22	0	0	0	4	18	22
9	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
11	सहायक ग्रेड-1	4	7	11	2	7	9	2	0	2
12	सहायक ग्रेड-2	5	28	33	3	14	17	2	14	16
13	सहायक ग्रेड-3	20	62	82	2	15	17	18	47	65
14	वाहन चालक(नियमित)	5	7	12	2	3	5	3	4	7
15	सीधी भर्ती से स्वीकृत पदों की पूर्ति कले.दर से	0	0	0	2	1	3	0	0	0
16	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि अंतर्गत कले.दर पर भर्ती)	3	21	24	3	12	15	0	9	9
		103	486	589	56	203	258	48	283	331
	चतुर्थ श्रेणी									
1	जमादार	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	भृत्य (नियमित)	15	61	76	4	19	23	11	42	53
3	भृत्य (नियमित) पद के विरुद्ध कले.दर के माध्यम से भरे पद	0	0	0	8	1	9	0	0	0
4	भृत्य (आकस्मिकता निधि)	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	चौकीदार	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	स्वीपर/फर्शिश/वाटरमैन (कले.दर)	5	37	42	5	31	36	0	6	6
		23	99	122	20	51	71	11	49	60
	कुल योग	148	668	816	89	309	398	67	360	427

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

परिशिष्ट-दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1	I. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा-निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
	II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2	I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
	II. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3	I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
	II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. सातवीं आर्थिक गणना
4	I. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान
	II. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय निकायों के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण करना 2. राज्य शासन की वार्षिक बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ आय-व्ययक संक्षेप में तैयार करना
	III. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा
	IV. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों का वार्षिक सर्वेक्षण करना
	V. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सूचकांक तैयार करना

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

5	I. औद्योगिक, खनिज एवं विद्युत उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं विद्युत सांख्यिकी
	II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3. आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
6	जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म- मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 4. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन
7	I. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
	II. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
8	I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
	II. सूचना का अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

भाग-एक

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति (National Institute for Transforming India-NITI) आयोग की स्थापना हो जाने से राज्यों के योजना आयोग/मण्डलों की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। हमारे राज्य में भी राज्य योजना आयोग, राज्य शासन के लिये 'थिंक टैंक' (Think Tank) के रूप कार्य कर रहा है।

आयोग का गठन, नाम परिवर्तन एवं पुनर्गठन

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। योजना मंडल में राज्य शासन के विभिन्न विभागों यथा वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, जनजाति विकास, जल संसाधन विभागों के सचिवों को सदस्य बनाया गया था। राज्य योजना आयोग को योजना की प्राथमिकता निश्चित करना, जिलों के उन क्षेत्रों में जिनमें विकास योजनाएं तैयार करना राज्य की योजना के ढांचे के अंदर उपयोगी माना जाए, ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना, उन कारणों का पता लगाना जिनमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रुकावटें आती हों और राज्य में, व्याप्त क्षेत्र में, असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना तथा योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरूरी हो, दायित्व सौंपा गया था।

12 अगस्त, 2010 को राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तन कर राज्य योजना आयोग किया गया

पुनः 07 जनवरी, 2020 को 'राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़' का पुनर्गठन करते हुए राज्य शासन द्वारा आयोग की संरचना में आंशिक परिवर्तन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

जी को आयोग के अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष, माननीय योजना मंत्री जी पदेन सदस्य के साथ राज्य मंत्रीपरिषद से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 पदेन सदस्य मनोनीत किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1 पूर्णकालीन सदस्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र से अधिकतम 3 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति को अशासकीय सदस्य तथा अधिकतम 2 अंशकालीन सदस्य, राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से एक वर्ष के चक्रीय आधार पर पदेन सदस्य के रूप में राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, भारसाधक सचिव, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास/कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को स्थाई आमंत्रित के रूप में रखे जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारी को पूर्णकालिक सदस्य सचिव पदस्थ करने का भी प्रावधान किया गया है।

आयोग के दायित्व

राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन के साथ साथ आयोग के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

- राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना।
- सतत् संपोषणीय विकास (SDG) तथा “जन घोषणा पत्र” के उद्देश्यों एवं “इंटर-जनरेशन इक्विटी” के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना।
- विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए राज्य शासन को समय-समय पर सुझाव देना।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

- शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना।
- विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिए उपयोगी निदानात्मक/विश्लेशणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व Best Practices का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना।
- नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना।
- शासन एवं शासनेत्तर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिए नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
- समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को संपादित करना।

आयोग की कार्यप्रणाली

राज्य योजना आयोग द्वारा समकालीन अनुसंधानों, नवप्रवर्तनों, सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों (Best Practices) की जानकारी प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय परिदृश्य एवं प्रदेश के संदर्भ में उनकी उपयोगिता की संभावना पर विचार करने के लिये विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर बैठकों का आयोजन, गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं कॉन्क्लेव आदि का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ-साथ केन्द्र सरकार, स्थानीय शासकीय अधिकारियों एवं अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता भी रहती है। कॉन्क्लेव इत्यादि में विचार-विमर्श उपरांत सहमत बिन्दुओं पर अनुशंसाएँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

आयोग द्वारा संपादित गतिविधियां—

सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राज्य के नीति निर्धारण में संबंधित विषयों पर, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा विगत वर्ष में की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए उपाय सुझाने प्रासंगिक विषयों पर टास्कफोर्स के प्रतिवेदन

राज्य योजना आयोग के निर्धारित दायित्वों में 'राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना' शामिल है। आयोग द्वारा राज्य के समन्वित विकास हेतु राज्य के विकास हेतु प्रासंगिक 14 चिन्हांकित विषयों पर टास्कफोर्स का गठन किया गया। इनमें देश-प्रदेश के विषय विशेषज्ञों तथा विभागीय अधिकारियों को भी शामिल किया गया। राज्य योजना आयोग द्वारा निम्न विषयों के टास्कफोर्स के प्रतिवेदनों को संबंधित विभागों को आगामी कार्यवाही हेतु सौंपा गया है —

1. कृषि, जल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्र
2. उच्च शिक्षा,
3. स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा
4. उद्योग, ग्रामोद्योग, कौशल विकास, उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार
5. वित्तीय संसाधन विस्तार एवं प्रबंधन
6. शहरी विकास एवं प्रबंधन
7. पर्यावरण प्रबंधन

विकासात्मक शोध / अध्ययन को प्रोत्साहन

आयोग द्वारा राज्य के विकास हेतु प्रासंगिक विषयों पर शोध/अध्ययन के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कुल 49 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। आयोग द्वारा पूर्ण किये गये महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्ताव —

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

1. छत्तीसगढ़ में भूजल स्तर की गिरावट पर शहरीकरण का प्रभाव
2. किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करके किसानों की आय में वृद्धि करना
3. मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के लिए खेत स्तरीय फसल योजना
4. अचानकमार, उदंती-सीतानदी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के प्रवास को सुनिश्चित करने के लिए वन्य जीवन प्रबंधन के मुद्दों का अध्ययन

नवाचारों को प्रोत्साहन –

प्रदेश में नवाचार के लिए इकोसिस्टम तैयार करने एवं समाज हेतु उपयोगी नवाचारों तथा प्रासंगिक नवाचारों में उद्यमिता विकास हेतु आयोग द्वारा नवाचार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020 में आरंभ की गयी है। योजनांतर्गत पात्र आवेदन के परीक्षणोपरांत स्वीकृति होने पर अधिकतम राशि रु. 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2022-23 तक कुल 09 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क, बेसलाईन व प्रोग्रेस रिपोर्ट्स व डैशबोर्ड

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और न्यायसंगत विश्व को बढ़ावा देने के लिए 17 वैश्विक उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। जिसमें 17 गोल्स, 169 टारगेट और 248 इण्डिकेटर्स का समावेश किया गया। प्रत्येक लक्ष्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे गरीबी, अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी और बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018 में प्रदेश में एस.डी.जी. क्रियान्वयन हेतु समन्वय का उत्तरदायित्व, राज्य योजना आयोग को सौंपा गया है।

एसडीजी अंतर्गत “स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क” का निर्धारण किया गया है, जिसमें कुल 275 इंडिकेटर निर्धारित हैं। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के निर्धारित इंडिकेटर्स के आधार पर राज्य योजना आयोग द्वारा अलग-अलग बैठक/ऑरियेंटेशन प्रोग्राम व विभागीय बैठक आयोजित कर स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क को तैयार किया गया, जिसका विमोचन दिनांक 12 जुलाई 2021 को किया गया।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

प्रदेश में एस.डी.जी. के लक्ष्यों की जिला स्तर पर निगरानी व समीक्षा हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय, चर्चा एवं विमर्श कर “डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क” का निर्धारण किया गया, जिसमें कुल 82 इंडिकेटर शामिल किया गया। उक्त रिपोर्ट का विमोचन दिनांक 20 अगस्त 2022 को किया गया।

“स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क” एवं “डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क” के आधार पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी प्रतिवर्ष जारी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2024 को योजना भवन, नवा रायपुर में राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार “एस.डी.जी.-डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022, छत्तीसगढ़” रिपोर्ट का विमोचन किया गया।

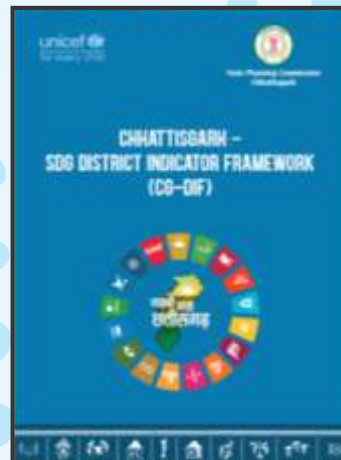
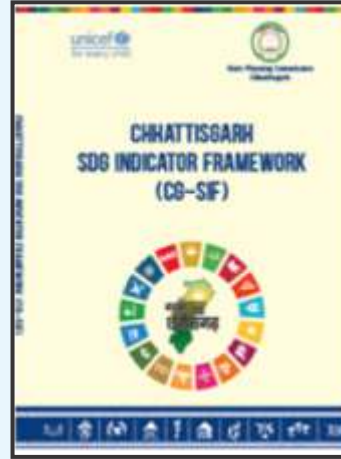


माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा “एस.डी.जी.-डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022, छत्तीसगढ़” का विमोचन किया गया।

प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रत्येक जिलों को जिले के प्रदर्शन के आधार पर ‘स्कोर’ व ‘रैंकिंग’ प्रदाय की गई है। रिपोर्ट्स का अवलोकन आयोग के वेबसाईट <http://www.spc.cg.gov.in/> में किया जा सकता है।

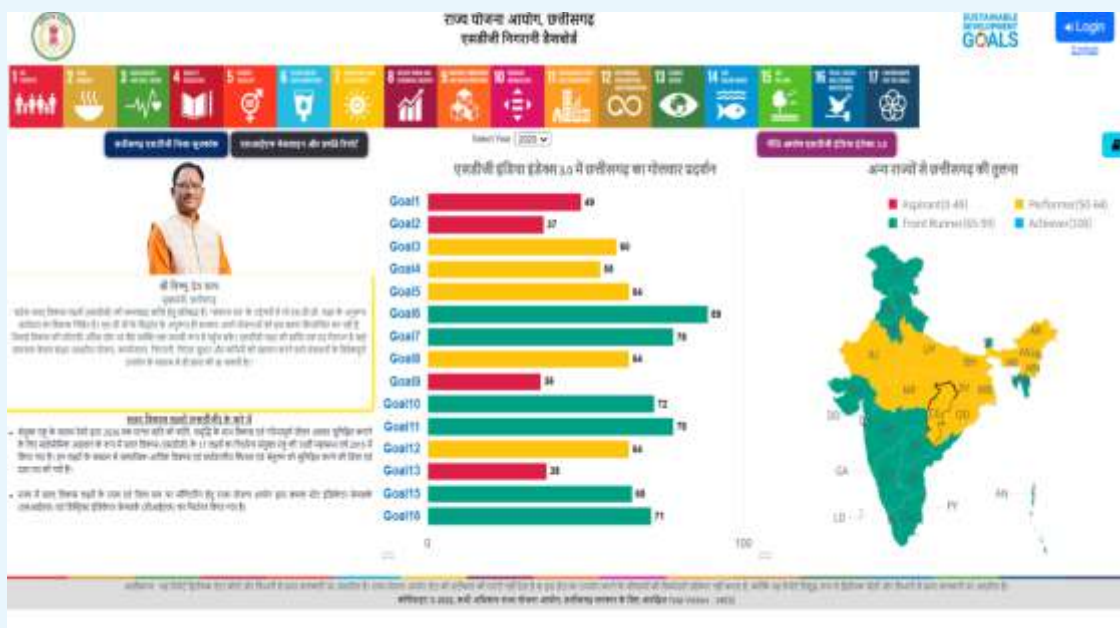
प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार एसआईएफ, डीआईएफ रिपोर्ट व उन पर आधारित बेसलाइन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

जिलों की प्रगति को आई.टी. आधारित टूल 'एसडीजी डैशबोर्ड' के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जिसका लिंक <https://sdgspc.cg.gov.in/> है। डैशबोर्ड काफी सरल व इंटरएक्टिव उपयोगी "टूल" है, जिसके माध्यम से प्रत्येक संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी इंडिकेटरवार प्रगति से अवगत हो सकते हैं। इंडिकेटर्स में प्राप्त स्कोर के आधार पर जिलों को रैंकिंग की गई है।



डैशबोर्ड में प्रत्येक इंडिकेटर हेतु राज्य स्तर का डाटा संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा तथा जिला स्तरीय डाटा संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ऑनलाईन अपडेट किया जावेगा। जिससे संबंधित विभाग एवं प्रत्येक जिला समय-समय पर तुलनात्मक प्रगति से अवगत हो सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

जिले अपनी प्रगति की तुलना दूसरे जिलों से कर सकेंगे। साथ ही विभाग संबंधित इंडिकेटर्स में वर्ष दर वर्ष प्रगति की मॉनिटरिंग कर सकेंगे।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2023-24

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2023-24	वर्ष 2023-24 माह दिसम्बर 2023 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान वर्ष 2024-25
1	2	3	4	5	6
मांग संख्या-31, मुख्य लेखा शीर्ष -3451					
	3686- राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	682.40 0.20	682.40 0.20	325.30 —	784.12 0.20
	योग	682.60	682.60	325.30	784.32
	6474- नवाचारों का बौद्धिक संपदा अधिकार	200.00	200.00	2.00	200.00
	7639- राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	841.00	841.00	60.23	841.00
	योग	1041.00	1041.00	62.23	1041.00
मांग संख्या-60 मुख्य लेखा शीर्ष - 3451					
	7282- जिला योजना का सुदृढीकरण (आयोजना)	65.00	65.00	2.07	65.00
	योग	65.00	65.00	2.07	65.00

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना – निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

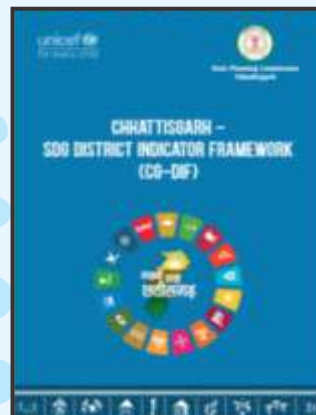
भाग-पांच

निरंक

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-छः

सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन



भाग-सात

सारंश

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ की बदली हुई भूमिका के अनुसार राज्य के संतुलित विकास हेतु चयनित विषयों पर राज्य, राष्ट्रीय व अंतर-राष्ट्रीय स्तर के लब्धप्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों के साथ गहन विमर्श व सुझाव प्राप्त करने के उपरांत राज्य योजना आयोग द्वारा गठित टॉस्कफोर्स की अनुशंसाएँ प्राप्त कर प्रतिवेदन तैयार किये गये एवं अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को सौंपा गया है। सतत् विकास लक्ष्यों के राज्य एवं जिला स्तर पर प्रगति के मूल्यांकन में सहायता हेतु “फ्रेमवर्क” व “डैशबोर्ड” तैयार किया गया है। साथ ही नवाचार एवं शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

परिशिष्ट-एक

राज्य योजना आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	—
2	सदस्य सचिव	प्रथम	141800—214700	17	1	1	0	—
3	सलाहकार	प्रथम	118500—214100	15	4	2	2	—
4	उप सचिव	प्रथम	79900—211700	14	1	0	1	—
5	संयुक्त संचालक	प्रथम	79900—211700	14	2	2	0	—
6	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	79900—211700	14	1	1	0	—
7	अवर सचिव	प्रथम	67300—213100	13	1	0	1	—
8	शोध अधिकारी	प्रथम	67300—213100	13	3	2	1	—
9	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	56100—177500	12	4	0	4	—
10	सहायक संचालक	द्वितीय	56100—177500	12	2	1	1	—
11	प्रशासकीय अधिकारी	द्वितीय	56100—177500	12	1	0	1	—
12	शीघ्रलेखक ग्रेड-1	द्वितीय	43200—136500	10	1	1	0	—
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	35400—112400	8	1	1	0	—
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	38100—120400	9	4	2	2	—
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	38100—120400	9	1	0	1	—
16	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	तृतीय	38100—120400	9	2	2	0	—
17	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	तृतीय	28700—91300	7	2	0	2	—
18	सहायक ग्रेड-1	तृतीय	28700—91300	7	1	1	0	—
19	अन्वेषक	तृतीय	28700—91300	7	4	1	3	—
20	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	28700—91300	7	1	1	0	—
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	25300—80500	6	1	0	1	—
22	सहायक ग्रेड-2	तृतीय	25300—80500	6	2	0	2	—
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	25300—80500	6	6	3	3	—
24	सहायक ग्रेड-3	तृतीय	19500—62000	4	4	1	3	—
25	वाहन चालक	तृतीय	19500—62000	5	5	5	0	—
26	दफ्तरी	चतुर्थ	16100—50900	2	1	0	1	—
27	भूत्य	चतुर्थ	15600—49400	1	11	9	2	—
28	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	—
29	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	—
30	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	—
योग					72	37	35	—

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

उपाध्यक्ष स्थापना हेतु								
क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा मनोनीत			1	1	0	—
2	विशेष सहायक	प्रथम	67300—213100	13	1	0	1	—
3	निज सचिव	द्वितीय	43200—136500	10	1	0	1	—
4	निज सहायक	द्वितीय	38100—120400	9	1	0	1	—
5	सहायक ग्रेड-2	तृतीय	25300—80500	6	1	0	1	—
6	वाहन चालक	तृतीय	19500—62000	4	2	1	1	—
7	भृत्य	चतुर्थ	15600—49400	1	3	2	1	—
योग					10	4	6	
महायोग					82	41	41	

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24



छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

छत्तीसगढ़ शासन

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

विभागीय संरचना

छत्तीसगढ़ शासन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभाग का नाम	: 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	: श्री श्याम बिहारी जायसवाल

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी

सचिव	: श्री अंकित आनन्द (भा.प्र.से.)
संयुक्त सचिव	: श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)
अवर सचिव	: श्रीमती हेमलता एक्का

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	: श्री अमृत विकास तोपनो (भा.प्र.से.)
------------------------------	--------------------------------------

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति	: अध्यक्ष -
	: उपाध्यक्ष -

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय / आयोग	पृष्ठ संख्या
1.	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	01-08

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग-एक

सामान्य जानकारी

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें 1982 और 1986 में कुछ संशोधन हुये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों एवं अनुभवों के साथ अनेक प्रकार की नई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू करने के कारण आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः संरचित करते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 लागू किया गया है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं। इसके अंतर्गत देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजिक पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निहित प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी हटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय संबंधी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 यू0एन0 मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स(एम0डी0जी0) और सार्क सोशल चार्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रबोधित करने एवं समीक्षा करने के अनुरूप बहुत सी मदें सम्मिलित की गई हैं।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

अधीनस्थ कार्यालय

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग के अधीनस्थ जिलाध्यक्ष कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड-02 व सहायक ग्रेड-03 के 16-16 पद एवं विकासखण्ड कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड-03 के 146 पद स्वीकृत हैं तथा राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति कार्यालय हेतु निज सहायक के 01 पद तथा भृत्य के 02 पद स्वीकृत हैं ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम – 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया..

राज्य शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम – 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तरीय समितियों की बैठक वर्ष में दो बार, जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में तथा ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक हर माह आयोजित करने के प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करने हेतु उप समिति का गठन किया गया है। यह उप समिति कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी। उप समिति अपनी अनुशंसा एवं कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के सापेक्ष में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्तकर शासन को अवगत कराया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिया जाता है।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं— (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख-रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौंपा गया है।

जानकारी संकलन हेतु नियत विभाग:

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. आवास एवं पर्यावरण विभाग
4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6. आदिम जाति कल्याण विभाग
7. महिला एवं बाल विकास विभाग
8. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
9. ऊर्जा विभाग
10. लोक निर्माण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :-

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र / राज्य शासन द्वारा संचालित 17 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. रोजगार सृजन—महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सृजन।
 - (i) जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या।
 - (ii) सृजित रोजगार (संख्या मानव दिवसों में)।
 - (iii) दी गई मजदूरी (रूपयों में)।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY - NRLM)।
 - (i) वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या।
 - (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई।
 - (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।
3. भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण।
 - (i) कुल वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।
 - (ii) अनुसूचित जाति को वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।
 - (iii) अनुसूचित जनजाति को वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।
 - (iv) अन्य को वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।
4. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिक सहित)।
 - (क) कृषि एवं फॉर्म कामगार (की संख्या)।
 - (i) किए गए निरीक्षण।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

- (ii) पता लगाई गई अनियमितताएँ।
 - (iii) दूर की गई अनियमितताएं।
 - (iv) फाइल किए गए दावे।
 - (v) निपटाए गए दावे।
 - (vi) लंबित अभियोजन मामले।
 - (vii) फाइल किए गए अभियोजन मामले।
 - (viii) निर्णीत अभियोजन मामले।
5. खाद्य सुरक्षा
- (i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एएवाई/एपीएल/बीपीएल)—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन (लाख टन्स)।
 - (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) (सामान्य)—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन (लाख टन्स)।
 - (iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए)(अतिरिक्त आबंटन)—राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन (लाख टन्स)।
6. ग्रामीण आवास— प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) — निर्मित आवासों की संख्या।
7. शहरी क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास — निर्मित आवासों की संख्या।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम—निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की संख्या।
9. संस्थानिक प्रसव—संस्थानों में प्रसव की संख्या।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

10. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार ।
 - (i) अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किये गये अ.जा. परिवारों की संख्या ।
 - (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सहायता प्रदान किये गये अ. जा.के छात्रों की संख्या ।
11. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का सर्वव्यापीकरण—प्रचलन में आई.सी.डी.एस. ब्लॉक की संख्या (संचयी) ।
12. क्रियाशील ऑगनबाड़ियों—क्रियाशील ऑगनबाड़ियों की संख्या (संचयी) ।
13. सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्: भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ—सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या ।
14. (i) वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)—रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर में) ।
(ii) वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)— रोपित पौधों की संख्या ।
15. ग्रामीण सड़कें — पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़क की लम्बाई (किमी.) ।
16. पम्पसेटों को बिजली—बिजली प्रदाय किए गए पंप सेट की संख्या ।
17. बिजली आपूर्ति—बिजली की मांग (मिलियन यूनिट) ।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-दो

कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि रु. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2023-24 वास्तविक व्यय (जनवरी 2024)	वर्ष 2023-24 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
2987 – बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	16289	41315
योग:-	16289	41315

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना—निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय—निरंक

भाग-पाँच

अभिनव योजनाएँ—निरंक

भाग-छः

प्रकाशन—निरंक

भाग-सात

सारांश—

बीस सूत्रीय कार्यक्रम—2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं। इसके अन्तर्गत देश में गरीबी हटाने तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

परिशिष्ट—दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

क्र	विभाग	संचालनालय / आयोग
1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का त्रैमासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही



Visit us - descg.gov.in